

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2016-17

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दूरभाष : (0771) 2446018, फैक्स : (0771) 4070131

Email:cgpurc@gmail.com, Website:www.cgpurc.in

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत स्थापित]



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2016-2017



छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर
दूरभाष : (0771) 2446018, फैक्स : (0771) 4070131
Email: cgpurc@gmail.com, Website: www.cgpurc.in

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2016-2017

- टीप :- (1) छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) यथा संशोधित 17 मार्च 2004 की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित आयोग।
- (2) उक्त अधिनियम का निरसन एवं व्यावृत्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 44 दिनांक 25 अगस्त 2005 को किया गया।



छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (छत्तीसगढ़ शासन)

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दूरभाष : (0771) 2446018, फैक्स : (0771) 4070131

Email: cgpurc@gmail.com, Website: www.cgpurc.in

क्रमांक – 426 / ए.ए.आर.सी. / 166 / ए / 2005 / 7035

रायपुर दिनांक 19 / 07 / 2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:— वित्तीय वर्ष 2016–2017 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

—0—

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 की कंडिका 22 में यह प्रावधान है, कि 'आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष के क्रियाकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा। नियम 2005 की कंडिका 23 (ग) में यह भी प्रावधान है कि आयोग के वार्षिक लेखा को चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित करा कर उनका सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। कंडिका 22 एवं 23 की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की वार्षिक लेखा सम्परीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग को आयोग द्वारा अग्रेषित किया जाना है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना है।

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–2017 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे आयोग ने बैठक दिनांक 12 / 06 / 2017 को विचार कर अनुमोदन किया है।

आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न कर प्रेशित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ.अंजनी कुमार शुक्ला)

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2016-2017

आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 22 के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष भर के किया-कलापों का पूर्ण लेखा-जोखा दिया गया है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत हैं।

1. विनियामक आयोग - पदाधिकारी एवं अधिकारी

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 36 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिए राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जायेगा जो राज्य शासन, एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरण के बीच अध्यापन, परीक्षा, शोध एवं अन्य कार्यक्रम में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तत्संगत शर्त सुनिश्चित करने के लिए होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाये रखेगा। विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा तदनुसार आयोग निरन्तर कार्यरत है। आयोग में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नानुसार पदाधिकारी एवं अधिकारी हैं :—

(1)	डॉ० ओम प्रकाश वर्मा	—	अध्यक्ष
(2)	डॉ० शिव वरण शुक्ल	—	सदस्य (अकादमिक)
(3)	श्रीमती रेणु देशमुख	—	सदस्य (प्रशासनिक)
(4)	डॉ० एस०आर० गुप्ता	—	अंशकालिक सदस्य
(5)	डॉ० स्मृति वाजपेयी	—	अंशकालिक सदस्य
(6)	प्रो० बी०आर० चन्द्राकर	—	सचिव

2. आयोग कार्यालय में उक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्नानुसार है :-

- (1) डॉ० ओम प्रकाश वर्मा, ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद का कार्य भार दिनांक 25 / 09 / 2013 को ग्रहण किया साथ ही इनका कार्यकाल दिनांक 24 सितम्बर, 2016 को पूर्ण हो गया तथा इसी दिनांक से डॉ० ओम प्रकाश वर्मा, अध्यक्ष पद से कार्य मुक्त हुए। तदउपरांत डॉ० शिव वरण शुक्ल ने आयोग के अध्यक्ष पद का प्रभार लिया।
- (2) डॉ० शिव वरण शुक्ल ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य (अकादमिक) पद का कार्य भार दिनांक 03 / 10 / 2015 को ग्रहण किया है।

- (3) श्रीमती रेणु देशमुख ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य (प्रशासनिक) पद का कार्य भार दिनांक 03 / 12 / 2015 को ग्रहण किया ।
- (4) डॉ० एस.आर. गुप्ता ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अंशकालिक सदस्य पद का कार्य भार दिनांक 01 / 01 / 2016 को ग्रहण किया ।
- (5) डॉ० स्मृति वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अंशकालिक सदस्य पद का कार्य भार दिनांक 04 / 01 / 2016 को ग्रहण किया ।

3. विनियामक आयोग की बैठकें :-

वर्ष 2016–2017 में विनियामक आयोग की 07 बैठकें निम्नांकित तिथियों में आयोजित की गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

सं. क्र.	बैठक क्रमांक	बैठक दिनांक
1.	86 / 2016	06 / 04 / 2016
2.	87 / 2016	08 / 08 / 2016
3.	88 / 2016	21 / 09 / 2016
4.	89 / 2016	27 / 09 / 2016
5.	90 / 2016	16 / 11 / 2016
6.	91 / 2017	02 / 01 / 2017
7.	92 / 2017	01 / 02 / 2017

4. एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा बिना परिनियम एवं अध्यादेश को राजपत्र में प्रकाशित करवाये, विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित करने के संबंध में -

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 86 / 2016 दिनांक 6.04.2016 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा फरवरी, 2015 में सत्र 2015–16 के प्रवेश के लिये समाचार पत्र में विज्ञापन जारी किया गया था। आयोग ने विज्ञापन का संज्ञान लेते हुये वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय को क्रमशः दिनांक 10. 03.2015, 29.04.2015, एवं 17.06.2015 को पत्र लिखा गया।

एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा पालन प्रतिवेदन में अधिनियम–2005 की धारा 7 (4) में निहित प्रावधानों का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु आयोग को परिवेदन दिया गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिनियम, अध्यादेशों की स्वीकृति के बिना प्रवेश तथा कक्षाओं के संचालन का कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा।

एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में क्या विद्यार्थियों को प्रवेश दिया है ? यह जानकारी प्राप्त करने हेतु आयोग कार्यालय द्वारा पुनः उन्हें पत्र दिनांक 23. 01.2016 लिखा गया। विश्वविद्यालय ने पत्र दिनांक 17.02.2016 के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करायी है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में 192 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 7(4) (ड), 28 (4) एवं 35 के अनुसार विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम को तभी संचालित कर सकता है जब संबंधित पाठ्यक्रम का अध्यादेश आयोग के अनुमोदन उपरांत राज्य शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कराया गया हो।

एमिटी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम एवं प्रथम अध्यादेश का राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है तथा विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया विश्वविद्यालय ने अधिनियम, 2005 की धारा 7(4) (ड), 28(4) एवं 35 का उल्लंघन किया है।

अतः उक्त तथ्यों के अनुसार सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अधिनियम, 2005 की धारा 41 (1) के अंतर्गत एमिटी विश्वविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जाये।

5. प्रस्तावित कामर्शियल यूनिवर्सिटी, ग्राम- मोटियारीडीह, तहसील-सिमगा, जिला- रायपुर (छ.ग.) की स्थापना एवं निगमन के संबंध में:-

प्रस्तावित कामर्शियल यूनिवर्सिटी, ग्राम- मोटियारीडीह, तहसील-सिमगा, जिला- रायपुर (छ.ग.) का प्रकरण आयोग की बैठक क्रमांक 87 / 2016 दिनांक 08.08.2016 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

बैठक में प्रस्तावित कामर्शियल यूनिवर्सिटी के संबंध में प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, रायपुर द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी जांच प्रतिवेदन, निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं प्रायोजक निकाय के द्वारा दी गई जानकारी के साथ-साथ "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005" में दिये गये स्थापना एवं निगमन संबंधी प्रावधानों से बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य रूप से जो तथ्य सामने आये हैं तदनुसार सर्व-सम्मति से जो निर्णय लिया है वह निम्नानुसार है :-

- (1) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 10.16 हेक्टेयर (25.09 एकड़) स्वामित्व की भूमि में ग्राम-मोटियारीडीह, तहसील-सिमगा, जिला-रायपुर (छ.ग.) में है। इस भूमि का व्यपवर्तन कराया गया है।
- (2) विन्यास निधि की राशि के रूप में रु. तीन करोड़ आयोग के पास जमा है।

- (3) मुख्य परिसर में प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन का निर्माण कार्य किया गया है। जिसमें भू-तल प्रथम तल में 30,500 वर्ग फुट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रशासनिक भवन में स्वागत कक्ष के साथ कुलाधिपति, कुलपति, एवं कुलसचिव के कार्यालय हेतु पृथक-पृथक कक्ष स्थित है। अकादमिक भवन में लगभग 10 अध्यापन कक्ष कांफेस हाल, कम्प्यूटर लैब, ग्रंथालय स्थित है। साथ ही भू-तल एवं प्रथम तल पूर्णतः विद्युत व्यवस्था से सुसज्जित हैं तथा छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक टायलेट बने हुए हैं। वर्तमान में कम्प्यूटर लैब के लिये लगभग 25 नग कम्प्यूटर का क्रय किया गया तथा ग्रंथालय के लिये पुस्तकें, जर्नल्स आदि का क्रय किया जा चुका है। प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय रायपुर के नई राजधानी परिस्केत्र से लगभग 75 कि.मी. रायपुर-बिलासपुर पहुंचमार्ग से जुड़ा है।
- (4) आवश्यक परिवर्चन (Undertaking) भी शपथ पत्र में दी जा चुकी है। इस प्रकार प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 में दी गई सभी शर्तों को पूरा करता है। अतः आयोग द्वारा सर्व-सम्मति से प्रस्तावित कॉर्मरिशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना एवं निगमन की अनुशंसा की गई है।
6. प्रस्तावित एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिया एन्ड आर्ट्स ग्राम-माठ, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.) की स्थापना एवं निगमन के संबंध में।

प्रस्तावित एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिया एन्ड आर्ट्स, ग्राम-माठ, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.) के प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 92/2017 दिनांक 01.02.2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

बैठक में प्रस्तावित एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिया एन्ड आर्ट्स के संबंध में प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, रायपुर द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी जांच प्रतिवेदन, निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं प्रायोजक निकाय के द्वारा दी गयी जानकारी के साथ-साथ "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005" में दिये गये स्थापना एवं निगमन संबंधी प्रावधानों से बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य रूप से जो तथ्य सामने आये हैं तदनुसार सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया है वह निम्नानुसार है:-

- (1) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 11,066 हेक्टेयर (27.34 एकड़ि) स्वामित्व की भूमि ग्राम-माठ तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.) में है। इस भूमि का व्यपवर्तन शैक्षणिक प्रायोजनार्थ हो चुका है।
- (2) विन्यास निधि की राशि के रूप में रूपये तीन करोड़ आयोग के पास जमा है।
- (3) मुख्य परिसर में प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन का निर्माण कार्य किया गया है। भू-तल में स्वागत कक्ष के साथ ग्रंथालय, कांफेस हॉल, 02 स्टूडियों लैब, कैन्टीन कुलाधिपति,

कुलपति एवं कुलसचिव के कक्ष स्थित है। प्रथम तल में 07 अध्यापन कक्ष स्थित है, साथ ही भू-तल एवं प्रथम तल पूर्णतः विद्युत व्यवस्था से सुसज्जित हैं तथा छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक टायलेट बने हुए हैं। वर्तमान में 02 स्टूडियों लैब यथा आडियों एवं विडियों लैब का निर्माण कार्य किया जा चुका है। भविष्य में उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाओं की भी जानकारी दी गई है:- जिसमें वाईफाई, व्हीकल्स आदि प्रस्तावित है। निजी विश्वविद्यालय रायपुर के नई राजधानी परिक्षेत्र से लगभग 60 किमी। रायपुर-खरोरा पहुंचमार्ग से जुड़ा है।

- (4) आवश्यक परिवचन भी शपथ पत्र में दी जा चुकी है। इस प्रकार प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 में दी गयी सभी शर्तों को पूरा करता है। अतः आयोग द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिया एन्ड आर्ट्स के स्थापना एवं निगमन की अनुशंसा की जाती है। प्रकरण को राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को प्रेषित किया जाय।

7. आयोग कार्यालय में विभिन्न प्रायोजक निकायों द्वारा जमा विन्यास निधि एवं अतिरिक्त निधि पर वित्तीय वर्ष 2015-16 की ब्याज राशि को संलग्नक-1 के अनुसार भुगतान करने के संबंध में।

आयोग कार्यालय में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रायोजक निकायों द्वारा विन्यास निधि एवं अतिरिक्त निधि की राशि जमा की गई है। प्रायोजक निकायों द्वारा जमा राशि पर विचार किया गया तथा उक्त संलग्नक-1 के अनुसार ब्याज राशि में नियमानुसार आयकर की कटौती कर ब्याज राशि को विमुक्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से सदस्यों द्वारा लिया गया।

8. नया रायपुर सेक्टर-24 में प्राधिकरण द्वारा शासकीय विभागों हेतु प्रथम आओ प्रथम पाओ योजना के आधार पर निर्मित किये जा रहे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आयोग कार्यालय हेतु बिल्टअप स्पेस क्रय करने के संबंध में:-

प्रकरण को आयोग की बैठक कमांक 90 / 2016 दिनांक 16.09.2016 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा नया रायपुर सेक्टर-24 में निर्मित किये जा रहे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में शासकीय विभागों को प्रथम आओ प्रथम पाओ योजना के आधार पर विभिन्न तलों पर बिल्टअप स्पेस का आबंटन किया जाना है। चूंकि प्राधिकरण की यह योजना स्व-वित्तीय आधार पर तैयार की जा रही है। अतः बिल्टअप स्पेस का आबंटन संबंधित विभागों को क्रय करने पर ही किया जा सकेगा। आवेदन के साथ पंजीयन शुल्क 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है एवं निर्मित क्षेत्रफल का मूल्य एवं भुगतान विवरण प्रस्ताव में दिया गया है।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग कार्यालय शांति नगर, रायपुर में रु. 30,613/- प्रतिमाह किराये के भवन में वर्ष 2005 से संचालित हो रहा है। आयोग के नियंत्रण में 08 निजी विश्वविद्यालय स्थापित है। 02-03 निजी विश्वविद्यालयों की और स्थापित होने की प्रक्रिया चल रही है। आयोग के सेटअप के अनुरूप आयोग को लगभग 595.93 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की आवश्यकता है, ताकि आयोग का कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सके। इसे क्य करने में लगभग रु. 3,00,00,000/- (रु. तीन करोड़) का व्यय भार आयेगा। आवेदन के साथ पंजीयन शुल्क 10 प्रतिशत निर्धारित है जो लगभग रु 30,00,000/- (रु. तीस लाख) है।

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे कार्यालय जो रायपुर शहर में किराए के भवनों में संचालित है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उन्हें आगामी 03 माह के भीतर नया रायपुर में स्थानान्तरित करना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त तथ्यों पर सभी सदस्यों ने विचार-विमर्श किया तथा सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आयोग कार्यालय हेतु नया रायपुर सेक्टर-24 में प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये जा रहे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में बिल्टअप स्पेस क्य करने के साथ निर्धारित पंजीयन शुल्क 10 प्रतिशत जमा कर दिया जाय तथा राज्य शासन को बजट में प्रावधान कराने हेतु प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया जाय।

9. अध्यादेशों का अनुमोदन -

(1.1) डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा विनियामक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अध्यादेश क्रमांक 121, 122 एवं 123 को आयोग की बैठक क्रमांक 87 / 2016 दिनांक 08 अगस्त, 2016 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यादेश क्रमांक 121, 122 एवं 123 को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाए।

(1.2) मैट्स विश्वविद्यालय द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अध्यादेश क्रमांक 122-133 को आयोग की बैठक क्रमांक 91 / 2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यादेश क्रमांक 122 से 133 को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाए।

10. आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में -

(1) आयोग की बैठक क्रमांक 91 / 2017 दिनांक 02.01.2017 में प्रो. बी.आर. चन्द्राकर, सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग, की संविदा नियुक्ति के अंतर्गत सेवा में एक वर्ष के लिये वृद्धि करने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

(2) आयोग की बैठक क्रमांक 91 / 2017 दिनांक 02.01.2017 में श्री टी.टी.थॉमस, शीघ्रलेखक ग्रेड-1 (अंग्रेजी) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की संविदा नियुक्ति के अंतर्गत सेवा में एक वर्ष के लिये वृद्धि करने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

11. राज्य की संचित निधि में जमा शुल्क राशि का विवरण -

- (1) डॉ० सी०व्ही० रमन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016–2017 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु० 9,14,306.00/- आयोग को प्राप्त हुए तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- (2) आई०सी०एफ०ए०आई० विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016–2017 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु० 50,829.00/- आयोग को प्राप्त हुए तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- (3) कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016–2017 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु० 22,51,532.00/- आयोग को प्राप्त हुए तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।

12. पूर्ववर्ती/प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आयोग को प्राप्त हुईं। प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित प्रायोजक निकायों को पत्र द्वारा शिकायतों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही विचाराधीन अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समय पर आयोग कार्यालय द्वारा आवेदकों को जानकारी उपलब्ध करायी गई है।

13. निजी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित 08 निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण समय–समय पर आयोग कार्यालय द्वारा किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष, राजभवन को प्रेषित किया गया है। साथ ही निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को आयोग कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है।

14. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों का विवरण:-

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम–2005 के अंतर्गत वर्ष 2006 से विचाराधीन अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य में आठ निजी विश्वविद्यालय स्थापित तथा संचालित हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:—

सं. क्र.	निजी विश्वविद्यालयों के नाम	निजी विश्वविद्यालयों का पता	निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष / दिनांक
1.	डॉ.सी.व्ही.रमन विश्वविद्यालय	करगी रोड कोटा जिला—बिलासपुर छ.ग。	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर 2006
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	ग्राम—गुल्लु, तह—आरंग, जिला—रायपुर छ.ग。	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर 2006
3.	कलिंगा विश्वविद्यालय	ग्राम—कोटनी, पलौद, तह—आरंग, जिला—रायपुर छ.ग。	स्थापना दिनांक 24 मार्च 2011
4.	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय	ग्राम—कुम्हारी, तह—चोरहा, जिला—दुर्ग छ.ग。	स्थापना दिनांक 24 मार्च 2011
5.	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय	ग्राम—उपरवारा, तह—अभनपुर, जिला—रायपुर छ.ग。	स्थापना दिनांक 03 फरवरी 2012
6.	एमिटी विश्वविद्यालय	ग्राम—मांठ, तह—तिल्दा, जिला—रायपुर छ.ग。	स्थापना दिनांक 21 अगस्त 2014
7.	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय	ओ.पी. जिंदल नॉलेज पार्क, ग्राम—पुंजीपथरा, तह—घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ छ.ग。	स्थापना दिनांक 21 अगस्त 2014
8.	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय	ग्राम—छुरा, तह—छुरा, जिला—गरियाबंद छ.ग。	स्थापना दिनांक 09 सितम्बर 2016

15 न्यायालयीन प्रकरण -


पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों/स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर की गई है, जिनमें विनियामक आयोग को एक पक्षकार बनाया गया है। विनियामक आयोग द्वारा प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क कर आयोग का पक्ष रखते हुए निम्नानुसार समस्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की गई। वर्ष 2016–17 में न्यायालयीन प्रकरण का विवरण निम्नानुसार हैः—


न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

रिट पिटिशन/ कम्प्लेन्ट नं.	माननीय उच्च न्यायालय/ उपभोक्ता फोरम का नाम	वादी/प्रतिवादी	रिमार्क
रिट पिटिशन (सी) नं. 8979 / 2012 (एस)	माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश बैच, ग्वालियर	बनवारी लाल त्यागी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित हैं।
आवेदन नं. 412 / 2016	सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैच, 61 / 35, कॉपरनिक्स मार्ग नई दिल्ली	नितिन कुमार दुबे विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य	प्रकरण लंबित हैं।
रिट पिटिशन (सी) नं. 1326 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़	कलिंगा विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित हैं।
रिट पिटिशन (सी) नं. 2971 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़	राजकिशोर वर्मा विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित हैं।
रिट पिटिशन (सी) नं. 2960 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़	करुनदास मानिकपुरी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित हैं।
रिट पिटिशन (सी) नं. 2979 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़	श्रवण कुमार हलवाई विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित हैं।

16. लेखाओं पर प्रतिवेदन के संबंध में –

विचाराधीन अवधि के लेखाओं की सम्परीक्षा मेसर्स बत्रा दीपक एंड
एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंट्स, रायपुर द्वारा की गई है, जो प्रतिवेदन के साथ
संलग्न है।



(रामजी द्विवदी)
प्र.सचिव


(डॉ. स्मृति वाजपेयी)
अंशकालिक सदस्य


(डॉ. एस.आर. गुप्ता)
अंशकालिक सदस्य


(श्रीमती रेणु देशमुख)
सदस्य (प्रशासनिक)


(डॉ. शिवपरण शुक्ल)
सदस्य (अकादमिक)


(डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला)
अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
शांति नगर, रायपुर – 492 007

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA
VINIYAMAK AYOG**

**AUDITED FINANCIAL STATEMENT
FOR FINANCIAL YEAR
2016-17**

BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

Batra Deepak & Associates
Chartered Accountants

Office No.28, 2nd Floor, Ashoka Plaza Complex
(Near Ashoka Ratan, Khamardih), Vidhan Sabha Road, RAIPUR (Chhattisgarh) 492001
Phone: 0771-2281180, 81, 82; Fax: 0771-2281183
E-mail: audit_murari@bdaca.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Members
Chhattisgarh Niji Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog),
Raipur (Chhattisgarh)

We have audited the attached Balance Sheet of **CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG (AYOG)** as at 31st March 2017 and the Income & Expenditure Account of the Ayog for the year ended on that date. Our report is as under:

- (a) These financial statements are the responsibility of the Entity's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit.
- (b) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- (c) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (d) In our opinion, proper books of account have been prepared, so far as it appears from our examination of such books.
- (e) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.



(f) Our audit observations are as under:

- i). As per clause 9(b) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005. AYOG has to deposit the fees within 15 days of receipt from the Universities to the Government but we noticed following instances where amount has been deposited with delay.

S.NO	NAME OF UNIVERSITY	DATE OF RECEIPT	DUE DATE OF DEPOSIT	DATE OF DEPOSIT	DELAY IN DAYS	AMOUNT
1.	ICFAI University	16-06-2016	01-07-2016	07-07-2016	6	400
2.	ICFAI University	08-09-2016	23-09-2016	02-11-2016	40	12,125
3.	Kalinga University	03-10-2016	18-10-2016	02-11-2016	15	7,04,049
4.	ICFAI University	01-12-2016	16-12-2016	27-12-2016	11	3,092
5.	ICFAI University	01-12-2016	16-12-2016	27-12-2016	11	2,468
6.	ICFAI University	08-12-2016	23-12-2016	27-12-2016	4	792
7.	ICFAI University	03-02-2017	18-02-2017	20-02-2017	2	512
8.	ICFAI University	03-02-2017	18-02-2017	20-02-2017	2	16,599
						Total 7,40,037

- ii). We observed that there is a tendency to keep Demand Draft received by AYOG and its deposit into the Bank Account. This information is complied in the following table:

S.No	Name of University	Demand Draft Date	Date on which Amount Credited to bank	Amount
1.	ICFAI University	01-06-2016	16-06-2016	400
2.	ICFAI University	08-08-2016	26-08-2016	8,887
3.	Kalinga University	20-08-2016	06-09-2016	2,58470
4.	Kalinga University	22-06-2016	06-09-2016	9,00,000
5.	Kalinga University	16-07-2016	06-09-2016	36,125
6.	ICFAI University	03-10-2016	01-12-2016	3,092
7.	ICFAI University	08-11-2016	01-12-2016	2,468
8.	ICFAI University	03-01-2017	03-02-2017	512

- iii). As per section 12(a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and operation) Rules 2005, Colleges / University has to deposit an amount of 1% of fees received from their students within 15 days of following month with AYOG however we observed that this stipulation is not regularly followed by Universities.

- (g) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet and the Income and Expenditure account read together with the notes thereon, but subject to para (f) above give the information required, in the manner so required and give a true and fair view:



- (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Ayog as at 31st March, 2017, and
- (ii) In the case of Income and Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 0057498C




[MURARI MITTAL]
PARTNER
M.NO. 300784


PLACE: RAIPUR
DATE: 29.06.2017

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2017

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT(Rs.) 31.03.2017	AMOUNT(Rs.) 31.03.2016
SOURCES OF FUNDS:			
CAPITAL FUND:			
Reserve & Surplus	"A"	191,411,217	140,011,449
T-O-T-A-L :-		191,411,217	140,011,449
APPLICATION OF FUNDS:			
FIXED ASSETS:	"B"		
Opening W.D.V.		1,033,357	1,013,310
Add: Addition during the year		395,506	182,749
Less: Depreciation during the year		257,388	162,702
Closing W.D.V.		1,171,475	1,033,357
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES:			
Cash & Bank balances	"C"	61,901,326	31,064,053
Investments in fixed deposit receipts	"D"	425,127,594	368,780,714
Deposits & Advances	"E"	4,210,822	133,326
		491,239,742	399,978,092
LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS:	"F"		
Net Current Assets		301,000,000	261,000,000
T-O-T-A-L :-		190,239,742	138,978,092
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account	"G"	191,411,217	140,011,449

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA
VINAYAMAK AYOG
For CHHATTISGARH NIJI
VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

(Dr. Anjan Kumar Shukla) (Smt. Renu Deshmukh)
Chairman Member (Admn)
[CHAIRMAN] [MEMBER ADMIN.]

DATE : 29.06.2017
PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 005408C

[MURALI MITTAL]
PARTNER
M.NO 300784

DATE : 29.06.2017
PLACE: RAIPUR

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2017

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (Rs.)	
		31.03.2017	31.03.2016
I-N-C-O-M-E :			
Sale of forms & miscellaneous income		7,000	17,000
Interest from FDR		67,425,812	7,621,274
Other interest from Banks		1,286,825	470,958
	TOTAL (A)	68,719,637	8,109,232
E-X-P-E-N-D-I-T-U-R-E :			
Petty Cash Expenses (Till Money)		204,031	173,542
Staff salary		4,644,143	3,901,544
Audit fees		23,000	22,800
Telephone expenses		80,109	58,043
Rent expenses		367,356	353,441
Electricity charges		63,550	54,610
Travelling and Conveyance expenses		45,722	95,404
Depreciation		257,388	162,702
Office expenses		12,305	76,411
Interest on Endowment Fund		10,100,000	-
Interest on Additional Fund		400,000	-
Bank charges		61	1,473
Printing & Stationery expenses		38,150	86,375
Sitting fees		58,000	48,000
Professional expenses		807,520	218,231
Interest on Late Deposit of TDS		2,264	-
Medical Reimbursement		70,173	68,496
Repairs & Maintenance expenses		91,746	26,858
Advertisement & Publicity		12,278	-
Conference & Seminars		37,074	-
Land inspection work		5,000	-
	TOTAL (B)	17,319,870	5,347,930
Excess of Income over Expenditure (A - B)		51,399,767	2,761,302
Net Surplus Carried to Balance Sheet		51,399,767	2,761,302
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account	"G"		

**FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA
VINAYAMAK AYOG**
For CHHATTISGARH NIJI
VISHWAVIDYALAYA VINIYAMAK AYOG

DATE : 29.06.2017

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 005408C

CLASS

NEBRASKA
FRED S.

**CHARTERED
ACCOUNTANT**

[MURABI MEETINGS]

MURARI MURTHY
PARTNER

PARTNER
MNO 200724

MNU 300/84

DATE: 20-01-2015

DATE: 29.06.2017
PLACE: RAIPUR



CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

PARTICULARS	AS AT 31.03.2017	AS AT 31.03.2016
<u>SCHEDULE - "A"</u>		
<u>RESERVES & SURPLUS:</u>		
Opening Balance	140,011,449	137,250,147
Add : Surplus/(Deficit)	51,399,767	2,761,302
T-O-T-A-L :-	191,411,217	140,011,449
<u>SCHEDULE - "C"</u>		
<u>CASH AND BANK BALANCE:</u>		
Petty Cash (As certified by Management)	12,617	-
<u>Bank Balances :</u>		
a) Balance with Union Bank Of India	41,890	46,709
b) Balance With Central Bank Of India	54,846,819	24,187,344
c) Auto Sweep Account with Union Bank of India	7,000,000	6,830,000
T-O-T-A-L :-	61,901,326	31,064,053
<u>SCHEDULE - "D"</u>		
<u>INVESTMENTS IN FDR(s):</u>		
a) Fixed Deposits with Central Bank of India	425,127,594	368,780,714
T-O-T-A-L :-	425,127,594	368,780,714
<u>SCHEDULE - "E"</u>		
<u>DEPOSITS & ADVANCES</u>		
a) TDS Receivable (A.Y 2007-08)	85,617	85,617
b) Deposit for rent	45,000	45,000
c) Deposit for telephone	1,402	1,402
d) Excess Fees deposited in Treasury	-	1,307
e) Advance for office at Naya Raipur	4,068,803	-
f) Advance for meeting	10,000	-
T-O-T-A-L :-	4,210,822	133,326
<u>SCHEDULE - "F"</u>		
<u>CURRENT LIABILITIES & PROVISION</u>		
a) Endowment fund	301,000,000	251,000,000
b) Additional fund	-	10,000,000
T-O-T-A-L :-	301,000,000	261,000,000



CHHATTISGARH NII VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
SCHEDULE "B" DETAILS OF FIXED ASSETS

PARTICULARS	RATE	W.D.V. AS ON 01.04.16	ADDITIONS		TOTAL	TOTAL DEPRECIATION	W.D.V. AS ON 31.03.2017
			MORE THAN 180 DAYS	LESS THAN 180 DAYS			
Furniture & Fixtures	10%	436,692	27,000	-	463,692	46,369	417,323
Office Equipments	15%	104,158	-	49,616	153,774	19,345	134,429
Computers	60%	14,386	114,240	-	128,626	77,176	51,450
Printers	60%	-	26,850	-	26,850	16,110	10,740
Air Conditioner	15%	42,586	177,800	-	220,386	33,058	187,328
Car	15%	435,535	-	-	435,535	65,330	370,205
TOTAL		1,033,357	345,890	49,616	1,428,863	257,388	1,171,475



CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

SCHEDULE - "G" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT:

These accounts have been prepared under the historical cost convention on the basis of a going concern, with revenues earned and expenses actually paid i.e. cash method of accounting. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and provisions of the statute have been followed.

2. FIXED ASSETS:

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of acquisition of fixed assets is inclusive of all expenses.

3. DEPRECIATION:

The entity has provided for depreciation as per rates prescribed under the Income Tax Act 1961.

4. TAXATION:

Provision for current and deferred taxation to be done as per Income Tax Act 1961

5. CONTINGENT LIABILITIES:

- (i) Contingent liabilities are not provided for in the books of accounts and are shown separately in the "Notes to Accounts". The liability of ₹ 1,37,41,569 / - towards interest due on endowment fund payable to such depositors has not been accounted for in books of accounts as the same would be accounted on payment basis.

B. NOTES TO ACCOUNTS:

- (i) Figures of the previous year have been re-arranged/re-grouped wherever considered necessary so as to make them comparable with current year's figures.



- (ii) Contingent Liabilities:
Estimated amount of Contingent liability remaining to be executed (Building at Naya Raipur) amounting to ₹ 4,06,88,027
- (iii) Tax Provision: - The AYOG is a body enacted under a separate enactment. It is constituted to regulate the conduct of private sector universities in the state of Chhattisgarh. It is also designated agency for allowing set up of any private university in the state of Chhattisgarh. In view of which it fulfills the criteria stipulated under section 10(46) of the I.T Act for getting full exemption of its income/surplus. Apart From this, AYOG has already been approved for exemption under other applicable sections of the IT Act. AYOG has been recognizing the refund of Endowment funds as its application of surplus and therefore does not have taxable income accordingly it has not made any provision of income tax in its books of account.
- (iv) Cash-in-Hand have been taken as certified by the members.
- (v) Parties' balances are subject to confirmations.
- (vi) Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary.

SIGNATURES TO SCHEDULES "A" TO "G"

For, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA

VINIYAMAK AYOG
 For CHHATTISGARH NIJI
 VISHWAVIDYALAYA VINIYAMAK AYOG
 (Dr. Anjani Kumar Shukla)
 Chairman
 [CHAIRMAN]

(Smt. Renu Deshmukh)
 Member (Admn)
 [MEMBER ADMIN.]

DATE: 29.06.2017
 PLACE: RAIPUR

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS
 FIRM REG. NO. 005408C


 [MURARI MITTAL]
 PARTNER
 M.NO. 300784

DATE: 29.06.2017
 PLACE: RAIPUR



छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दूरभाष : (0771) 2446018, फैक्स : (0771) 4070131

Email:cgpurc@gmail.com, Website:www.cgpurc.in